राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41)ग्राविवि–5/सां./CMBPL CLOSURE/2018–19 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :–मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अपूर्ण आवासों को 15 अक्टूम्बर, 2018 तक पूर्ण कराए जाने बाबत।

प्रसंग :–विभागीय पत्र दिनांक 13.2.17

राज्य में इन्दिरा आवास योजना की स्थाई वरियता सूची में शामिल परिवारों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक हडकों से जिला परिषदों द्वारा ऋण लेकर सीएमबीपीएल योजना संचालित की गई है। योजना के प्रावधानुसार अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अधिकतम 2 वर्ष मे पूर्ण कराया जाना था। योजना की प्रगति की समीक्षा उपरान्त योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों 669427 में से अभी भी 43591 आवास अपूर्ण/प्रगतिरत होना खेदजनक है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्र दिनांक 13.2.2017 द्वारा जारी निर्देशानुसार योजनान्तर्गत संबंधित लाभार्थी की सहमति उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से भी शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी कम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपूर्ण आवासो की निम्नानुसार कार्यवाही कर 15 अक्टूम्बर, 2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे :–

1. योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी आवास जो कि निर्माणाधीन/अपूर्ण/पूर्ण परन्तु भुगतान बकाया है की आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध सिंगल पेज एन्ट्री तैयार की जावे।

   इस सूची में ऐसी स्वीकृतियां जिनकों प्रथम किश्त जारी नही की गई हो एवं जिनके द्वारा जारी किश्त की राशि वापस जमा करा दी गई/वसूली कर ली गई हो को शामिल नही किया जावे।

2. उक्त पंचायतसमितिवार तैयार सूची अनुसार निम्न कार्यवाही की जावे –

   अ. ऐसे लाभार्थी जिनके द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु आवास सॉफ्ट के माध्यम से पी.एफ.एम.एस. प्रणाली से भुगतान में समस्या आ रही हो तो संबंधित लाभार्थी के खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से देय किश्त का भुगतान कर दिया जावे।

   ब. ऐसे लाभार्थी जो आवास पूर्ण कराने में असमर्थ है के कम में विभागीय पत्र दिनांक 13.2.2017 अनुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराया जाये।

   स. लाभार्थी की मृत्यु उपरान्त कोई भी वारिस नही होने की परिस्थिति में वारिस के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर चिन्हिकरण किया जावे।

   द. लाभार्थी द्वारा स्थायी पलायनः– ऐसे लाभार्थी स्थाई रूप से पलायन कर गए लाभार्थी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर चिन्हिकरण किया जावे।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविवि), समस्त, राजस्थान।

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (PMAYG)